दिनांक 10.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 370/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हरदोई/थाना कासिमपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.07.2026 को थाना कासिमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फत्तेपुर फथरौली मोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त उस्मान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानो में चोरी के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कासिमपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कासिमपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उस्मान निवासी मो0 काजीपुर कस्बा व थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 29 बैट्री**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.07.2026 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहरौरा लखनियादरी मोड़ के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–लवकुश 2–श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 29 बैट्री, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07–07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अदलहाट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लवकुश निवासी घाटमपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

2–श्रवण कुमार निवासी सिरसी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–चोरी की 29 बैट्री।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना इकदिल

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 20 हजार 170 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 09.07.2026 को थाना इकदिल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चितभवन नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवम उर्फ शिवा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 20 हजार 170 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मैनपुरी, इटावा के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम उर्फ शिवा निवासी नगला तिवारी वलैयापुर थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

बरामदगी

1–लूट के 20 हजार 170 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना खेरागढ़

- **अवैध पिस्टल की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 अवैध पिस्टल मय मैगजीन**
- **10 अन्य पिस्टल मैगजीन**
- **अवैध पिस्टल बिक्री के 05 हजार 850 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 थार वाहन आदि बरामद**

दिनांक 09.07.2026 को थाना खेरागढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैफऊ बॉर्डर, गऊशाला के आगे पुलिया के पास से अवैध पिस्टल की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–उदयवीर 2–यश उर्फ अन्नू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 अवैध पिस्टल मय मैगजीन, 10 अन्य पिस्टल मैगजीन, अवैध पिस्टल बिक्री के 05 हजार 850 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 थार वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खेरागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उदयवीर निवासी ग्राम कन्जौली थाना शादाबाद जनपद हाथरस।

2–यश उर्फ अन्नू निवासी गौशाला मोहल्ला थाना निहालगंज जनपद धौलपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–11 अवैध पिस्टल मय मैगजीन।

2–10 अन्य पिस्टल मैगजीन।

3–अवैध पिस्टल बिक्री के 05 हजार 850 रूपये नगद।

4–02 मोबाइल फोन।

5–01 थार वाहन आदि।

जनपद शामली/थाना बाबरी

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 03 लाख 60 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 518 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.07.2026 को थाना बाबरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त मुरसलीन उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 03 लाख 60 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 518 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर, शामली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बाबरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुरसलीन उर्फ काला निवासी ग्राम धलापड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 03 लाख 60 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 518 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ विराज को मृत्युदण्ड व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना को0 बांसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना को0 बांसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148 व 302 भादवि सपठित धारा 120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजू 2–जयश्री 3–श्यामनरायन उर्फ श्यामप्रकाश उर्फ चिनकू 4–जगदीश 5–विजय 6–भोलू उर्फ गोलू 7–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सहाजेव उर्फ सावेज उर्फ डोडा को धारा 363/506 भादवि, 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–दानिश उर्फ बावला 3–मो0फतेह 4–सलमान 5–नदीम को धारा 506 भादवि, 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना फफूंद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना फफूंद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनुरूद्ध उर्फ बबलू को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संतोष को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रामपुर बरकोनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 09 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रामपुर बरकोनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/325/147 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बुद्धिनरायन 2–रमेश 3–राधेश्याम 4–हरि प्रसाद 5–रघुवर 6–विमलेश उर्फ अनिल 7–जटाशंकर 8–अरूण 9–दीनानाथ को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––